राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज., जयपुर

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज.

क्रमांकः एफ (48)संस्थापन / अ.स.मा.वि. / 2013 / 2524 दिनांकः 14/7/2020

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मे से प्रशासनिक सुधार (अनु0–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(1) प्र.सु. / अनु–3 / 2020 दिनांक 18.06.2020 द्वारा इस विभाग को नियुक्ति हेतु आवंटित अभ्यर्थियों में से पति–पत्नि प्रकरण / शहीद परिवार का आश्रित / माता–पिता अथवा पति–पत्नि के असाध्य रोग से संबंधित अभ्यथियो की व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता हैः–

दस्तावेजो की सूचीः–

1. चयनित अभ्यर्थियो में से पति–पत्नि होने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र / विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर नोटेरी से सत्यापित प्रमाण पत्र।
2. पति–पत्नि में से पूर्व से राज्य सेवा / राजकीय विभाग / सार्वजनिक निगम / बोर्ड / उपक्रम में पदस्थापित हो तो उसका कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र मय गत माह के वेतन की पे–स्लिप।
3. अभ्यर्थी के शहीद परिवार का आश्रित होने पर उसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
4. चयनित अभ्यर्थियो के माता–पिता अथवा पति–पत्नि असाध्य रोग (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रसित हो तो उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त सूचना विभाग को व्यक्तिशः निदेशालय में श्री रामकरण बैरवा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Mob:-9602580859) से संपर्क कर अथवा ई–मेल (dirminority@gmail.com) पर दिनांक 21.07.2020 तक सांय 5.00 बजे से पूर्व उपलब्ध कराना होगा। नियत तिथि के पश्चात अभ्यवेदनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

13-07-2020

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक

पति/पत्नि के राज्य सेवा का प्रमाण–पत्र

कार्यालय का नाम :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पत्नी/पति श्री/श्रीमती .. .. इस विभाग/कार्यालय के तहत नियमित राज्य कर्मचारी के रूप में आदिनांक की स्थिति में कार्यरत है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर मय मोहर